

19.01.21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटित तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा तंवरपुरा पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 437/260 रकबा 53.11 बीघा व मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 195 रकबा 48.04 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा तंवरपुरा पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 437/260 रकबा 53.11 बीघा व मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 195 रकबा 48.04 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जावे। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2021/ 314

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 18.02.21

अप्रार्थीगण

1 भीखाराम 2 हीराराम 3
घमडाराम पिसरान
कुशलाराम जाति जाट
निवासी बोला तहसील व
जिला बाड़मेर।

1 नानगाराम पुत्र सोनारा 2 फुसाराम पुत्र तुलसाराम 3
लाधाराम 4 कानाराम पिसरान बांकाराम जाति जाट 5
आसूराम पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी बोला 6
सोनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी तंवरपुरा, बोला 7
प्रभूराम पुत्र आम्बाराम जाति मेघवाल निवासी हाल भादरेस 8
खेताराम पुत्र भारूराम जाति जाट 9 खंगाराराम पुत्र
सालगाराम जाति सुथार 10 इन्द्रसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति
राजपूत 11 लाभूराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी
तंवरपुरा, बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 69/2020

दिनांक- 19.01.21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा तंवरपुरा पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 437/260 रकबा 53.11 बीघा व मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 195 रकबा 48.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 18.02.21

क्रमांक :- रीडर/2021/ 315-318

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भीखाराम पुत्र कुशलाराम वगैराह जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नानगाराम पुत्र सोनारा वगैराह जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर